



संख्या-378/2026/आई/1322538/23-1-26/001-23-1002(002)/265/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 12 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका-2 के अनुसार कुल ₹0 77,25,00,000/- (रुपये सतहत्तर करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र० सं०	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	20656/CE-HQ1/ISC/KNP/2026-27	23-04-2026
2	20705/CE-HQ1/ISC/MBD/2026-27	24-04-2026
3	20706/CE-HQ1/ISC/BAN/2026-27	24-04-2026
4	20801/CE-HQ1/ISC/MBD/2026-27	27-04-2026
5	20802/CE-HQ1/ISC/BAN/2026-27	27-04-2026
6	20900/CE-HQ1/ISC/JHA/2026-27	29-04-2026
7	21028/CE-HQ1/ISC/GKP/2026-27	30-04-2026

तालिका-2

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 इटावा	जनपद इटावा में फूप-चैरेला से मधुपुरा मार्ग (लम्बाई 15.800किमी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	293/2025/आई/1096412/2025/23-11099(099)/213/2025-दिनांक-22-09-2025	2486.36 2481.86 1534.50 5.74 2476.12	745.91	1730.21	500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० स०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नि.ख.-1 बांदा	जनपद बांदा में बांदा-नरैनी- कालिंजर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-113) के चैनेज 8.000 से 20.000 (लम्बाई 12.00 किमी०) तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	28/2026/आई/1 208302/23- 1.26/001/23- 11099- 099/222/2025 -दिनांक-16-01- 2026	<u>4513.66</u> <u>4513.66</u> <u>3533.71</u> <u>26.00</u> <u>4487.66</u>	902.73	3584.93	1000.00
3	नि.ख.-1 बांदा	जनपद बांदा में फतेहपुर बबेरु अतर्रा नरैनी करतल मार्ग के चैनेज 88.400 से 115.950 तक (लम्बाई 27.550 किमी०) 02 लेन विद पेव्ड सोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	29/2026/आई/1 208304/23- 1.26-001/23- 11099-099- 80/2025 - दिनांक-16-01- 2026	<u>7984.93</u> <u>7984.93</u> <u>6121.37</u> <u>59.91</u> <u>7925.02</u>	1056.99	6868.03	1000.00
4	प्रा.ख. महोबा	जनपद महोबा में कबरई-पहरा सम्पर्क मार्ग (अ०जि०मा०) (लम्बाई 9.300 किमी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	119/2025/1/89 2385/2025 - दिनांक-27-02- 2025	<u>1820.92</u> <u>1820.92</u> <u>1331.09</u> <u>5.84</u> <u>1815.08</u>	975.66	839.42	500.00
5	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में जसपुर धामपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 6.000 से 18.360 तक (लम्बाई 12.360 किमी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	188/2025/1/92 3386/2025/23 - 11099(099)/3 29/2024- दिनांक-29-03- 2025	<u>3339.31</u> <u>3339.31</u> <u>2137.40</u> <u>115.30</u> <u>3224.01</u>	1780.00	1444.01	450.00
6	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में नगीना रायपुर कोटकादर लालवाला कोटद्वार (अ०जि०मा०) के चैनेज 0.000 से 21.450 तक 7.00 मी० में सुदृढीकरण एवं चैनेज 21.450 से 32.050 तक 5.50 मी० से 7.00 मी० में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 32.050 किमी०) कार्य	322/2025/1/11 03503/2025/2 3-11099- 099/103/2025 -दिनांक-27-09- 2025	<u>4498.16</u> <u>4498.16</u> <u>2773.88</u> <u>22.65</u> <u>4475.51</u>	899.63	3575.88	100.00
7	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में रावली मण्डावर माचकी गोपालपुर सिहोरा निजामाबाद मार्ग (अ०जि०मा०) के चैनेज 15.650 से 24.650 तक (लम्बाई 9.000 किमी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण।	279/2025/आई/ 1087949- दिनांक-13-09- 2025	<u>2140.88</u> <u>2140.88</u> <u>1379.01</u> <u>2.08</u> <u>2138.80</u>	642.26	1496.54	500.00
8	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर के स्वार किला खेड़ा से बाजपुर गदरपुर उत्तराखण्ड सीमा तक मार्ग के चैनेज 0.000 से 12.100 (लम्बाई 12.100 किमी०) तक	421/2025/1/11 35267/2025/2 3-11099- 099/104/2025 -दिनांक-07-11- 2025	<u>4424.39</u> <u>4424.39</u> <u>1725.84</u> <u>814.21</u> <u>3610.18</u>	451.88	3158.30	100.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० स०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्रावधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य					
9	प्रा.ख. ललितपुर	जनपद ललितपुर में बार- बानपुर के अवशेष भाग के किमी० 17(300) से 28(320) तक (लम्बाई 11.020 किमी०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	138/2025/1/89 9788/2025 - दिनांक-06-03- 2025	<u>3352.67</u> <u>3352.67</u> <u>1706.13</u> <u>200.00</u> <u>3152.67</u>	1973.43	1179.24	1000.00
10	प्रा.ख. ललितपुर	जनपद ललितपुर में बांसी-बार मार्ग एवं पुराना अवशेष भाग मार्ग का 02 लेन में (लम्बाई 14.360 किमी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	282/2025/आई/ 1087953- दिनांक-13-09- 2025	<u>4377.27</u> <u>4368.54</u> <u>3353.33</u> <u>1.27</u> <u>4367.27</u>	575.45	3791.82	1500.00
11	प्रा.ख. देवरिया	जनपद देवरिया में भटनी बलुआ मार्ग के दर्शन चौराहा से चखनी घाट वाया रायबारी होते हुए बिहार बार्डर चैनेज 0.000 से 6.000 तक (लम्बाई 6.000 किमी०) मार्ग (अ०जि०मा०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	308/2025/1/10 99314/2025/2 3-11099- 099/244ध/025 -दिनांक-24-09- 2025	<u>1232.26</u> <u>1215.82</u> <u>669.52</u> <u>252.10</u> <u>963.72</u>	158.19	805.53	300.00
12	प्रा.ख. देवरिया	जनपद देवरिया में पकड़ी कुकुरघाटी (अ०जि०मा०) (लम्बाई 9.200 किमी०) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	339/2025/आई/ 1103500/202 5/23-11099- 099-245- 2025-दिनांक- 27-09-2025	<u>2451.86</u> <u>2288.96</u> <u>1741.30</u> <u>0.00</u> <u>2288.96</u>	735.56	1553.40	775.00
					कुल योग-		7725.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 77,25,00,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखा शीर्षक 5054043371700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।